

जबलपुर में नकली घड़ियां बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई, 45 नकली घड़ियां जब्त

पुलिस ने घड़ी की दुकान में कार्रवाई की जहां एक कंपनी की डुप्लीकेट घड़ियां बरामद की गई है।

Publish Date: | Sun, 23 Jan 2022 12:45 PM (IST)



जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। ओमती थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्रांडेड कम्पनियों के नाम पर कथित रूप से नकली घड़ियां बेचने वाले एक दुकानदार के यहां कार्रवाई। इस दौरान 45 नग घड़ियां जब्त की गई हैं।

कंपनी को मिली थी शिकायत : ओमती थाना प्रभारी एसपीएस बघेल ने बताया कि 21 जनवरी को ईआइपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के जांच अधिकारी मयंक शर्मा इंदौर ने लिखित शिकायत दी कि ओमती क्षेत्र अंतर्गत स्थित घड़ी दुकानों में फास्ट्रेक कम्पनी के नाम पर नकली घड़ियां बेची जा रही है। इस शिकायत पर करमचंद चौक स्थित गुप्ता फैसी स्टोर्स में दबिश दी गई। यहां 45 ऐसी घड़ियों को जब्त किया गया जो हबहू फास्ट्रेक कम्पनी की घड़ियों के जैसी रहीं। इस मामले में दुकान संचालक मोहित गुप्ता के विरुद्ध कापीराइट एक्ट की धारा 51, 63 के तहत कार्रवाई की गई।

जहर खाने से मजदूर की मौत :

सर्रापीपल में रहने वाले एक गरीब मजदूर ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। रांझी पुलिस के मुताबिक सर्रापीपल में रहने रहने वाला दिनेश श्रीपाल (40 वर्ष) मजदूरी करता था। कुछ दिनों से वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। जिसके चलते बीती रात उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसका पता चलते ही उसके स्वजन उसे मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकी।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार : ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। बरगी थाना क्षेत्र की इंदिरा नगर कालोनी में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 85 लिटर कच्ची शराब जब्त की गई है। थाना प्रभारी बरगी रीतेश पाण्डे ने बताया कि इंदिरा नगर में रहने वाला राधेश्याम यादव पास की ही एक झोपड़ी से अवैध शराब का कारोबार करता था। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 21 जनवरी की देर रात उसके ठिकाने पर दबिश दी और राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में इन्द्र दमन तालाब के पास रहने वाले जितेन्द्र उर्फ जितू भूमिया को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया है। दोनों आरोपितों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/jabalpur-action-on-shopkeeper-selling-fake-watches-in-jabalpur-45-fake-watches-seized-7257434>